बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
<u>आवश्यक सूचना</u>

एतद् द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार कारखाना नियमावली, 1950, बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियमावली, 1972, एवं बिहार अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए प्रारूप बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2021, प्रारूप बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (संशोधन), नियमावली 2021, प्रारूप बिहार अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2021 का सूत्रण किया गया है। संशोधन से संबंधित प्रारूप अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) विभागीय बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/labour पर दिनांक–08.02.2021 तक उपलब्ध रहेगा। आप से अनुरोध है कि अपना आक्षेप/मन्तव्य उपर्युक्त तिथि तक lcbihar@bihar.gov.in समर्पित किया जाय। मंतव्य/सुझाव केवल दिये गये ईमेल आई०डी० पर ही समर्पित करें।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

STC-92

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस० ओ० पटना, दिनांक–

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादनं) अधिनियम, 1970 की धारा–35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादनं) नियमावली, 1972 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

I. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**–(1) यह नियमावली बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादनं) (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

II. उक्त नियमावली के नियम–17 में संशोधनः–

उक्त नियमावली का नियम 17(3) निरसित एवं 17(1), 17(2) एवं 17(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा;

17(1) धारा–7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत फॉर्म–I में संबंधित क्षेत्र के निबंधन पदाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा, जहाँ वह स्थापना अवस्थित है।

17(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से समर्पित किया जायेगा एवं शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जायेगा।

17(4) उप नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति के पश्चात् आवेदक को पावती ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

III.. उक्त नियमावली के नियम–18 में संशोधनः–

उक्त नियमावली का नियम 18(1), 18(3) एवं 18(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा :–

18(1) धारा–7 की उप धारा (2) के अन्तर्गत फॉर्म–II में संबंधित क्षेत्र के निबंधन पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवसों के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

18(3) रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म–III में एक रजिस्ट्रर रखेगा, जिसमें उसके द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र के विशिष्टियों को दर्शाया जायेगा।

18(4) यदि किसी स्थापना के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विहित विशिष्टियों में कोई परिर्वतन किया जाय तो स्थापना का प्रधान नियोजक रजिस्ट्री पदाधिकारी को परिवर्तित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ऐसे परिवर्त्तन की विशिष्टियों और उनके कारण को सूचति करेगा।

IV. उक्त नियमावली का नियम–19(2) को निरसित एवं नियम 19(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा;

19(1) निबंधन हेतु समर्पित किये गये आवेदन फॉर्म के सभी दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं रहने की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रधान नियोजक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को संशोधित करने हेतु संसूचित किया जायेगा और यदि प्रधान नियोजक आवेदन को संशोधित नहीं करता है, तो निबंधन पदाधिकारी आवेदन को संसूचित करने के पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अस्वीकृत करेगा।

V. उक्त नियमावली के नियम–20(1) एवं 20(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा :–

20(1) नियम–18 के उप नियम (4) के अधीन दी जाने वाली ऐसी प्रत्येक सूचना वर्तमान निबंधन प्रमाण–पत्र एवं नियम–26 के उप नियम (1) में विहित शुल्क (केवल श्रमिकों की संख्या परिवर्तन के मामले में) के साथ दी जायेंगी।

20(2) नियम–18 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर और, रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि विशिष्टियों में, जैसा की वे फॉर्म–III में रजिस्ट्रर में दर्ज की गई है, कोई परिवर्त्तन हुआ है, वहाँ उक्त रजिस्ट्रर में संशोधन करेगा, और उनमें हुए इस प्रकार के परिवर्तन को अभिलिखित करेगा।

परंतु ऐसा कोई संशोधन ऐसे संशोधन से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही या अर्जित किसी अधिकार या उपगत किसी बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा।

परंतु यह और भी, कि रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी फार्म–3 वाली रजिस्ट्रर में तक तक कोई संशोधन नहीं करेगा जब तक कि प्रधान नियोजक द्वारा समुचित फीस (केवल श्रमिकों की संख्या परिवर्तन के मामले में) जमा नहीं कर दी जाती है।

VI.. उक्त नियमावली के नियम–21 में संशोधनः–

उक्त नियमावली का नियम 21(3) को निरसित और नियम 21(1), 21(4) एवं 21(5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

21(1) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु संवेदक द्वारा समर्पित किया जाने वाला आवेदन ऑनलाइन माध्यम से फार्म–4 में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को दिया जायेगा, जहाँ वह स्थापना अवस्थित है।

21(4) उप नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति के पश्चात् आवेदक को पावती ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

21(5) उप नियम–1 के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन के साथ, नियम–26 के अन्तर्गत विहित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

VII. उक्त नियमावली के नियम–23 में संशोधनः–

उक्त नियमावली का नियम 23(2)(ii) को निरसित और नियम 23(1) एवं 23(2)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा;

23(1) ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी, आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं प्रविष्टियों के सही होने तथा आवेदक की योग्यता के संबंध में, अन्वेषण द्वारा संतुष्ट हो सकेगा।

23(2)(i) जहाँ अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाना चाहिए, वह आवेदक को समुचित मौका देते हुए, आवेदन को निरस्त करेगा एवं आवेदन को निरस्त करने का कारण अंकित करते हुए आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से संसूचित करेगा।

VIII. उक्त नियमावली के नियम–25 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के नियम 25(2)(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

25(2)(ii)किसी भी स्थापना में नियोजित किये जाने वाले ठेका श्रमिकों की कोटिवार संख्या (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल) किसी भी दिवस पर, अनुज्ञप्ति में वर्णित अधिकतम संख्या से ज्यादा नहीं होगा।

IX.. उक्त नियमावली के नियम–26 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के नियम 26(1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

26**(1) शुल्क**ः–धारा–7 के अधीन प्रदान किये जाने वाले निबंधन प्रमाण पत्र का निर्दिष्ट शुल्क निम्नवत् होगा। ऐसे स्थापनाएँ जिनका नियंत्रण या प्रशासन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो, वैसी स्थापनाओं का निबंधन निःशुल्क होगा।

ठेकेदार द्वारा किसी भी दिवस पर नियोजित किये जाने वाले कामगारों की प्रस्तावित संख्या–

	शुल्क
1001 से अधिक	5000
501से लेकर 1000 तक	2000
51 से लेकर 500 तक	1000

26(2) धारा–12 के अधीन प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क ठेकेदारों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नवत् निर्दिष्ट होंगे:–

वर्गीकरण	**नियोजित होने वाले ठेका श्रमिकों की संख्या**	**शुल्क**
कोटि I के ठेकेदार	1001 से अधिक	5000
कोटि II के ठेकेदार	501 से लेकर 1000 तक	2000
कोटि III के ठेकेदार	51 से लेकर 500 तक	1000

X. उक्त नियमावली के नियम–27 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के नियम 27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा :–

27 नियम–25 के अधीन प्रदत्त सभी अनुज्ञप्ति ठेका समाप्ति के वास्तविक तिथि तक प्रवृत्त होंगे, जिस ठेका के लिए अनुज्ञप्ति दिया गया हो।

XI. उक्त नियमावली के नियम–28 में संशोधनः–

उक्त नियमावली का नियम 28(2) को निरसित और नियम 28(1), 28(3) एवं 28(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा;

28(1) नियम–25 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति सही एवं युक्तिसंगत कारणों के आधार पर ही अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। ठेकेदार अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के समक्ष संशोधन की प्रकृति एवं उनके कारणों का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेगा।

28(3) यदि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता हैं तो वह आवेदक से नियम–26 के उप नियम (1) में विहित शुल्क (केवल श्रमिकों की संख्या परिवर्तन के मामले में) जमा लेगा।

28(4) संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदक को अस्वीकृत किये जाने के कारणों को उल्लेखित करते हुए ऑनलाइन माध्यम से संसूचित किया जायेगा।

XII. उक्त नियमावली के नियम–29 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के नियम–29 एवं संबंधित फॉर्म–VII निरसित किये जायेंगे।

XIII. उक्त नियमावली के नियम–30 को निरसित किया जाता है।

XIV. उक्त नियमावली के नियम–32 को निरसित किया जाता है।

XV. नियमावली के विनिर्दिष्ट फॉर्म संशोधित किये जायेंगे।

ज्ञापांकः–04/सी०-02/2020, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव।

एस० ओ० दिनांक का अंग्रेजी भाषा में

निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सुर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–04/सी०-02/2020, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–04/सी०-02/2020, श्र०सं०–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:–04/सी०-02/2020, श्र०सं०–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Govt. of Bihar
Labour Resource Department

Notification

S. O.   **Patna, Date:**

In exercise of the powers conferred under section 35 of the The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972:-

I. (1) **Short title, extent and commencement.**- These Rules may be called Bihar Contract Labour (Regulation and Abolition) (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall extend to the whole of Bihar

(3) It shall come into force at once.

II. Amendment in Rule 17 of the said Rules:-

Rule 17(3) shall be omitted and Rule 17 (1), 17(2), and 17(4) of the said rule shall be substituted by the following;-

17(1) The application referred to in sub-section (1) of section 7 shall be made online in Form I to the registering officer of the area in which the establishment sought to be registered in located.

17(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a fees deposited through online mode.

17(4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1) acknowledgment shall be made available to the applicant through online mode.

III. Amendment in Rule 18 of the said Rules:-

Rule 18 (1), 18(3) and 18(4) of the said Rule shall be substituted by the following:-

18(1) The certificate of registration under sub-section (2) of section 7 shall be granted within fifteen working days of the receipt of the application by the registering officer and shall be in Form II.

18(3) The registering officer shall maintain a register through online or offline mode in Form III showing the particulars of establishment in relation to which certificate of registration have been issued by him.

18(4) If, in relation to an establishment, there is any change in the particular specified in the certificate of registration, the principal employer of the establishment shall intimate through online mode to the registering officer, within fifteen days from the date when such change takes place, the particulars of, and the reasons for, such change.

IV. Amendment in Rule 19 of the said Rules:-

Rule 19(2) shall be omitted and Rule 19(1) of the said Rule shall be substituted by the following :-

19(1) Where an application for registration is not complete in all respects the registering officer shall through online mode require the principal employer to amend the application and if the principal employer fails to do so, the registering officer shall reject the application for registration within fifteen working days from the date of application.

V. Rule 20(1) and 20 (2) of the said Rule shall be substituted by the following;-

20(1) Every intimation under sub-rule (4) of Rule 18 shall be accompanied by the current certificate of registration and fee (only in case when the number of worker is changed) as prescribed in Sub-Rule (1) of Rule 26.

20(2) Where on receipt of the intimation referred to in sub-rule (4) of Rule 18 the registering officer is satisfied that there has occurred a change in the particulars of the establishment as entered in the register in Form III, he shall amend the said register and record therein the change which has occurred:

Provided that no such amendment shall affect anything done or any action taken or any rights, obligation or liability acquired or incurred before such amendment:

Provided further that the registering officer shall not carry out any amendment in the register in Form III, unless the appropriate fees (only in case when the number of worker is changed) have been deposited by the principal employer.

VI. Amendment in Rule, 21 of the said Rules:-

Rule 21(3) of the said Rule shall be omitted and Rule 21(1), 21(4) and 21 (5) of the said Rule shall be substituted by the following;-

21(1) Every application by a contractor for the grant of a licence shall be made online in Form IV to the licensing officer of the area in which the establishment is located.

21(4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the licensing officer shall, after noting thereon, the date of receipt of the application, grant an acknowledgment to the applicant through online mode.

21(5) Every application referred to in sub-rule (1) shall also be accompanied by the payment of the fees at the rates specified in rule 26, through online mode.

VII. Amendment in Rule 23 of the said Rules:-

Rule 23(2) (ii) shall be omitted and Rule 23(1), 23(2)(i) of the said Rule shall be substituted by the following:-

23(1) On receipt of the application from the contractor thereafter, the Licensing Officer within fifteen working days shall investigate or cause investigation to be made to satisfy

himself about the correctness of the facts and particulars furnished in such application and the eligibility of the applicant for a licence.

23(2)(i) Where the licensing officer is of opinion that the license should not be granted, he shall, after affording reasonable opportunity to the applicant, make order rejecting the application and shall record the reasons for the refusal and shall be communicated to the applicant, through online mode.

VIII. Amendment in Rule 25 of the said Rules:-

Rule 25(2) (ii) of the said Rule shall be substituted by the following:-

25(2)(ii) The number of workmen specifying category (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled) employed as contract labour in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence;

IX. Amendment in Rule, 26 of the said Rules:-

Rule 26(1) and 26(2) of the said Rule shall be substituted by the following:-

26(1) **Fees:-** (1) The fees to be paid for grant of a certificate of registration under section 7 shall be specified below. In case of establishment which are controlled or administered by central or state government, registration of such establishment shall be free.

If the number of workmen proposed to be employed on contract on any day is ---

	Fee
1001 or above	5000
From 501 to 1000	2000
From 51 to 500	1000

26(2) The fees to be paid for grant of a licence under section 12 shall be on the basis of classification of contractor which is specified as below-----

Classification	**Employing Contract Labour**	**Fees**
Grade I contractor	1001 or above	5000
Grade II contractor	From 501 to 1000	2000
Grade III contractor	From 51 to 500	1000

X. Amendment in Rule 27 of the said Rules:-

Rule 27 of the said Rule shall be substituted by the following:-

27. Every license granted under rule 25, shall remain in force till the actual date of completion of the contract for which it has been granted.

XI. Amendment in Rule 28 of the said Rules:-

Rule 28 (2) shall be omitted and Rule 28 (1), 28(3) and 28(4) of the said Rule shall be substituted by the following:-

28(1) A license issued under rule 25 may, for good and sufficient reasons, be amended by the licensing officer. The Contractor shall submit to the licensing officer an online application stating the nature of the amendment and reasons therefor.

28(3) If the licensing officer allows the application, he shall require the applicant to furnish the fee (only in case when the number of worker is changed) as prescribed in Sub-Rule (2) of Rule 26.

28(4) Where the application for amendment is refused, the licensing officer shall record the reasons for such refusal and communicate the same to the applicant, through online mode.

XII. Rule 29 of the said Rule along with Form-VII shall be omitted.

XIII. Rule 30 of the said Rule shall be omitted.

XIV. Rule 32 of the said Rule shall be omitted.

XV. The Forms specified in the said rules is amended as follows :-

Form I

[See Rule 17(1)]

Application for Registration of Establishments Employing Contract Labour

1. Name and Location of the establishment.
2. Postal address of the establishment.
3. Full name and address of the Principal
Employer (furnish) father's name (in the case of individuals).
4. Full name and address of the Manager or person responsible for the supervision and control of the establishment.
5. Nature of work carried on in the establishment.
6. Particulars of contractors and contract labour-
    (a) Name and address of contractors.
    (b) Nature of work in which contract labour is employed or is to be employed.
    (c) Maximum number of Contract Labour specifying category (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled) to be employed on any day through each contractor.
    [(cc) Estimated date of the commencement of work under each contractor],
    (d) Estimated date of termination of contract labour under each contractor.
7. Particulars of Treasury receipt enclosed (Name of the Treasury, amount and date).

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Principal Employer.
Seal of and Stamp

Date of receipt of application.

Office of the Registering Officer.

Form II

[See Rule 18(1)]

Certificate of Registration

Government of Bihar, Office of the Registering Officer

A Certificate of Registration containing the following particulars is hereby granted under sub-section (2) of Section 7 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Rules framed thereunder to-

1. Nature of work carried on in the establishment.
2. Name and addresses of contractors.
3. Nature of work in which contract labour is employed or is to be employed.
4. Maximum number of Contract Labour specifying category (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled) to be employed on any day through each contractor.
5. Other particulars relevant to the employment of contract labour.

Signature of the Registering Officer with seal.

Form IV

[See Rule 21(1)]

Application for Licence

1. Name and address of the contractor (including his father's name in case of individuals).
2. Date of birth and age (in case of individuals).

3. Particulars of establishments where contract labour is to be employed-

(a) Name and address of the establishment.

(b) Type of business, trade, industry, manufacture or occupation, which is carried on in the establishment.

(c) Number and date of Certificate of Registration of the establishment under the Act.

(d) Name and address of the Principal Employer.

4. Particulars of contract labour-

(a) Nature of work in which contract labour is employed or is to be employed in the establishment.

(b) Duration of the proposed contract work (give particulars of proposed date of manufacture of commencing and ending).

(c) Name and address of the agent or manager or contractor at the worksite.

(d) Maximum number of Contract Labour specifying category (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled) to be employed on any day through each contractor.

5. Whether the contractor was convicted of any offence within the preceding five years. If so, give details.

[6. Whether there was any order against the contractor revoking or suspending licence in respect of an earlier contract? If so, the date of such order.]

7. Whether the contractor has worked in any other establishment within the last five years. If so, give details of the Principal Employer, Establishment and nature of work.

8. Whether a certificate of the Principal Employer in Form V enclosed.

9. Amount of licence fee paid through online mode.

Declaration

I hereby declare that the details given above are correct to the best of my knowledge and belief.

Place ....

Signature of the applicant

Date ....

(Contractor)

(No.- 04/सी०-02/2020, L.R.) Patna, Date

By The order of the Governor of Bihar

(Surykant Mani)
Deputy Secretary to the Government

ज्ञापांकः–04/सी०-02/2020, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–04/सी०-02/2020, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य

सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–04/सी०-02/2020, श्र०सं०–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।